10000 रु. Rs 10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs 10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

U6AA 354535

बिक्री	–	7,28,000/
मालियत	–	32,900/–
देय स्टाम्प	–	10,300/

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार	:	कृषि
2. परगना व तहसील	:	मोहन लाल गंज
3. स्थित ग्राम	:	पहाड़नगर टिकरिया

कार्यालय कोषागार, लखनऊ

विपत्र [illegible]

भुगतान [illegible]

प.सं. [illegible]

कार्य [illegible]

लेखाकार [illegible] परीक्षक

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 898032

4. सम्पत्ति का विवरण : खसरा नं0 10क रकबा 0.145हे0 व खसरा नं0 178 कुल रकबा 0.139हे0 व खसरा नं0 10ग रकबा 0.101हे0 कुल रकबा 0.385हे0 का 1/2भाग यानी कुल विक्रीत 0.1925हे0

5. मापन की ईकाई : हेक्टेयर।

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : कुल 0.1925हे0

7. सड़क की स्थिति : सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200मी0 से अधिक दूरी पर

8. प्रतिफल की धनराशि : 2,28,000/-

9. पेड़ो की सं0 : नहीं है।

10. बोरिंग/नलकूप : बोरिंग/नलकूप नहीं है।

3296

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

24/06/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

C 19160

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

चौहद्दी खसरा नं0 10क / 10ख

पूरब	—	खसरा नं0 9
पश्चिम	—	खसरा नं0 13
उत्तर	—	खसरा नं0 4
दक्षिण	—	खसरा नं0 11

चौहद्दी खसरा नं0 175

पूरब	—	खसरा नं0 173
पश्चिम	—	खसरा नं0 171 व 176
उत्तर	—	खसरा नं0 173
दक्षिण	—	खसरा नं0 173 व 174

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

C 19166[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

प्रथम पक्ष की संख्या 01 विक्रेता विवरण	द्वितीय पक्ष की संख्या –01 क्रेता का विवरण
श्रवण पुत्र मोलहे निवासी ग्राम पहाड़नगर टिकरिया पो0 व ब्लॉक मोहन लाल गंज लखनऊ, व्यवसाय – कृषि	राम किशोर पुत्र हरिराम निवासी – मकान नं0 171 [illegible] जायसगंज जनपद रायबरेली

विक्रय–पत्र

मैं कि विक्रेता श्रवण पुत्र श्री मोलहे निवासी ग्राम पहाड़नगर टिकरिया पो0 व ब्लॉक मोहन लाल गंज लखनऊ (विक्रेता) है। [illegible] खसरा नं0 [illegible] रकबा 0.149हे0 व खसरा नं0 176 कुल रकबा [illegible] 0.385हे0 का 0.139हे0 व खसरा नं0 [illegible] रकबा 0.101हे0 कुल रकबा [illegible] 1/2भाग यानी कुल विक्रीत 0.1925हे0 स्थित ग्राम पहाड़नगर टिकरिया परगना व तहसील – मोहन लाल गंज जनपद लखनऊ की मालिक काबिज व काबिज है। उपरोक्त सम्पत्ति [illegible] खतौनी क्रम सं0 00017 के अनुसार विक्रेता का नाम संक्रमणीय भूमिधर के नाम से दर्ज है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 191667

5

उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है और विक्रेता को [illegible] है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के है। उक्त भूमि [illegible] संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है जो कि समस्त प्रकार [illegible] विवाद से पाक व साफ है। विक्रयशुदा भूमि पर नलकूप [illegible] भूमि सड़क से 200मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि [illegible] सिकमी, व खण्डजा के किनारे स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सामान्य ग्राम के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि है। जो कृषि प्रयोग हेतु क्रय की जा रही है। उक्त भूमि हर प्रकार की विवादों, भार, [illegible], रेहन, बन्धक, इकरार, कुर्की जमानत, डिग्री आदि से पूर्णतया पाक साफ है। जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार मैं विक्रेता को प्राप्त है। चूंकि हम विक्रेता को रुपयों की आवश्यकता है। अतः अपनी रजामन्दी से बिना जोरदबाव रजायज के बजरिए [illegible] हमारा मैं उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाइशी को बकिमती मूल्य रूपये 2,28,00/- (रू0 दो लाख अट्ठाइस हजार मात्र) जिसके आधे 1,14,000/-होते है। बदस्त राम किशोर पुत्र श्री हरिराम निवासी मकान नं0 171 ग्राम पाहो [illegible] तहसील लालगंज जनपद रायबरेली विक्रय कर दिया है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

और कब्जा व दखल मालिकाना आज की तारीख से करा दिया अब हमारा विक्रीत आराजी से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा क्रेता उक्त भूमि की दाखिल खारिज में अपना नाम करवा लेवें। इसमें मुझको या मेरे वारिसानों को कोई उज्र न है और न कभी भविष्य में होगा। और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी की या वरासत या हकदारी से विक्रीत का कुल जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल या कब्जा न मिले (मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की कायम न पाई जाय या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भाग बाधित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रुपया मय हर्जा–खर्चा व नुकसान सहित मुझसे व मेरे वारिसानों व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवें। विक्रेता को कोई [illegible] उज्र [illegible] न होगा। और भूमि आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि की समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ समझे अपने नाम दर्ज करा लेवें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग पर स्थित नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लिहाजा यह बैनामा रूबरू गवाहान खूब सोच समझकर बिना किसी जोर जबरदस्ती व स्वस्थ मस्तिष्क के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत में काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामा का निष्पादन किया।

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

आराजी खसरा नं0 10क रकबा 0.1450हे0 व खसरा नं0 175 कुल रकबा 0.1390हे0 व खसरा नं0 10ख रकबा 0.1010हे0 कुल रकबा 0.3850हे0 का 1/2भाग यानी कुल विक्रीत 0.1925हे0 हे0 स्थित ग्राम महाराजनगर टिकारिया परगना व तहसील – मोहन लाल गंज जनपद लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200मी० से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या इमारत आदि नहीं है। उक्त भूमि पर ट्यूबवेल/नलकूप नहीं है। विक्रीत भूमि ग्राम मझार नगर टिकारिया परग० व तह० मोहन लाल गंज जिला लखनऊ में स्थित है। जो कि सामान्य ग्राम में आता है। विक्रीत भूमि का कुल क्षे० 0.1283 हे० है। जिसकी मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा सर्किल रेट से बजारू मूल्य रुपया 2,40,000/- प्रति हे० की दर से निर्धारित है। जिसकी कुल मालियत 53,900/-रु० होती है। परन्तु मालियत विक्रय मूल्य से कम है, इसलिये विक्रय मूल्य पर नियमानुसार 8 प्रतिशत की दर से रु० 18,300/- के जनरल स्टाम्प अदा किये जा रहे है क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरार नामा आदि पंजीकृत नहीं किया गया है उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ०प्र० आवास विकास परिषद की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गई है।

तफसील वसूलयाबी जरसमन

विक्रेता ने क्रेता से रू0 2,28,000/— (रू0 दो लाख अट्ठाइस हजार मात्र) चेक नं0 528[illegible] .... दिनांकित 28/06/07 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरत गंज लखनऊ द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धन राशि विक्रीत मलकी से सम्बन्धित क्रेता से पाना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक :—28.06.2007

ह0 विक्रेतागण

[illegible]

विक्रेता की पहचान के लिए
गवाह नं

[illegible]

क्रेता की पहचान के लिए
गवाह नं 2

[illegible]

क्रेता

[illegible]

टाईपकर्ता
[illegible]
(मनोज सिंह)
[illegible] मोहनलालगंज लखनऊ

मसविदाकर्ता :
[illegible]
(श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव)
एडवोकेट।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32 - ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता: [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

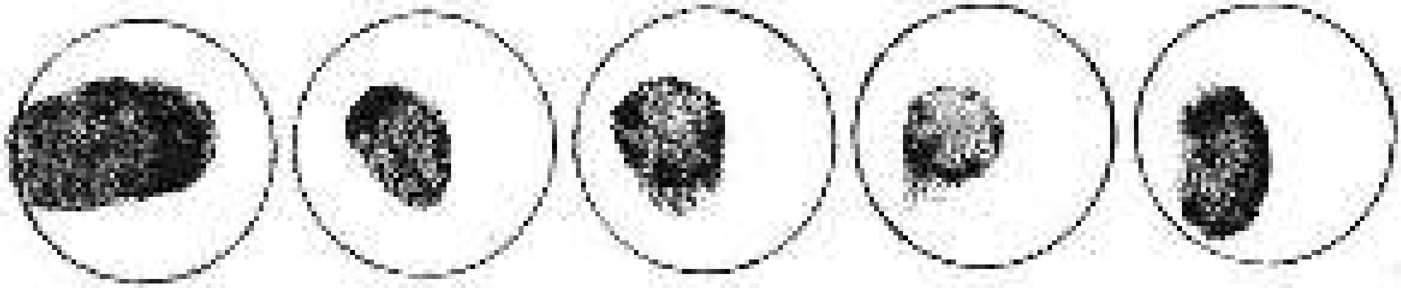

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता: [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

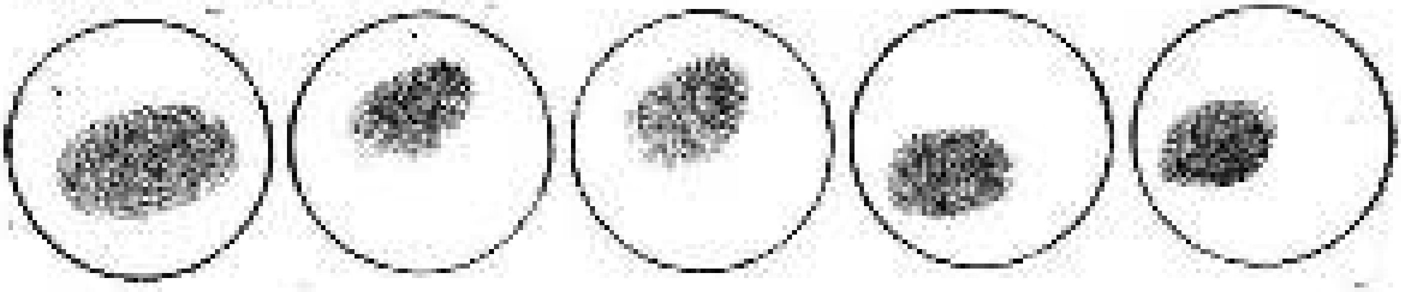

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

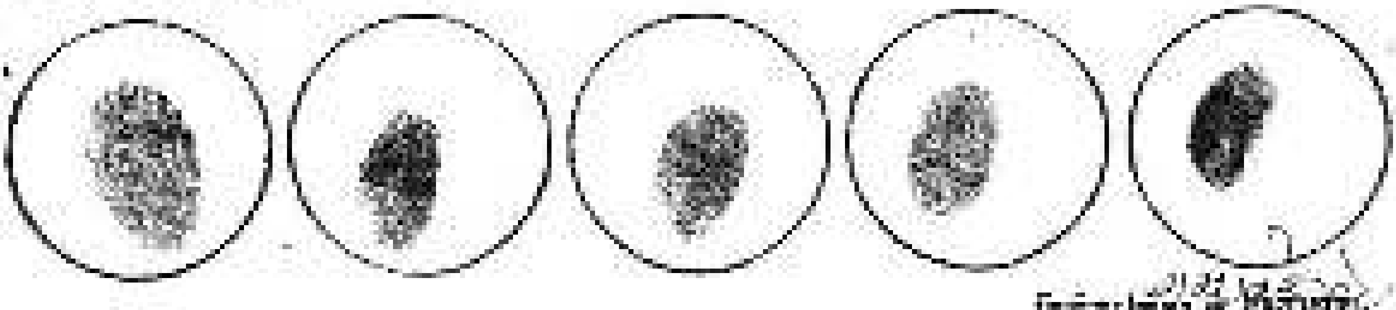

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर